जनपद हरिद्वार द्वारा माह नवम्बर में किया गया सराहनीय कार्य 2017

1-

Police Station Name	कोतवाली गंगनहर, सर्किल रुड़की
Image	
Date Of good work	20.11.17
Brief	दिनांक 20.11.17 को थाना कोतवाली गंगनहर क्षेत्रान्तर्गत उपकारागार रुड़की से पेशी पर लाये गये कुख्यात बदमाश वेदपाल राणा की रामनगर कचहरी परिसर में एडीजे प्रथम कोर्ट के बाहर तीन अज्ञात हथियाबन्द बदमाशों द्वारा अन्धाधुंध गोलियां बरसाकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया । उक्त फायरिंग में देवपाल राणा के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति भी घायल हुए। एंव बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से कोतवाली गंगनहर के पैरोकार ललिता प्रसाद, एंव आई0आर0बी0 द्वितीय के डयूटी पर तैनात कां0 सर्वेश पर फायर किया गया। जिसके द्वारा बदमाशों को ललकारते हुए हवाई फायरिंग भी किया गया तथा देवपाल राणा की सुरक्षा में तैनात कां0 311 अशोक द्वारा भी बदमाशों की ओर फायर किया गया तभी आई0आर0बी0 के जवानों तथा ललिता प्रसाद द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए उक्त हथियार बन्द बदमाशों में से दो बदमाशों को मौके पर ही मुटभेड के दौरान पकड लिया गया एक बदमाश भीड़ का फायदा उठाकर भागने में कायमयाब रहा। तभी मौके पर मय फोर्स के पहुंचे प्रभारी निरीक्षक गंगनहर द्वारा तत्काल पकड़े गये दोनों बदमाशों को हिरासत पुलिस लिया गया। जिनके कब्जे से दो विदेशी पिस्टल व 06 जिन्दा कारतूस बरामद हुए । पकडे हुए बदमाशों ने अपना नाम अजय पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम मंगलपुर थाना नरवाणा जिला जिन्द हरियाणा उम्र 20 वर्ष, व दूसरे ने अपना नाम मोहित पुत्र सतवीर निवासी उम्र 19 वर्ष व अपना फरार साथी का नाम

	विकाश पुत्र रलदू निवासी उपरोक्त उम्र 20 वर्ष बताया। घायलों को पुलिस द्वारा उपचार हेतु तत्काल सिविल अस्पताल रुड़की ले जाया गया। जहां से वेदपाल राणा को चिकित्सक द्वारा दून अस्पताल देहरादून रेफर कर दिया गया। जहां पर डा0 द्वारा देवपाल राणा को मृत घोषित कर दिया गया। पूछताछ करने पर बदमाशों द्वारा खुलासा किया गया कि हम लोगो को ऋषिपाल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम मुस्की पुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर उ0प्र0 द्वारा उक्त देवपाल की हत्या करने भेजे गया था जिसकी पत्नी वर्तमान में ब्लोक प्रमुख है तथा पूर्व में देवपाल राणा की पत्नी ब्लोक प्रमुख थी उक्त चुनावी रंजिस के चलते दोनों में तनातनी थी इस बार भी ब्लाक प्रमुख के चुनाव में दोनों की पत्नियां उम्मीद्वार है। उक्त घटना क्रम के सम्बन्धमें थाना कोतवाली गंगनहर पर मु0अ0सं0 511/17 धारा 302/307/332/353/34 भादवि व मु0अ0सं0 512/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम अजय शर्मा व मु0अ0सं0 513/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम मोहित पंजीकृत किया गया। फरार अभियुक्त विकाश को जनपद देहरादून में देर रात्रि गिरफ्तार किया जा चुका है।

2-

Police Station Name	कोतवाली रूडकी, सर्किल रूड़की
Image	
Date Of good work	13-11-17
Brief	दिनांक 13-11-17 को मुझ प्रभारी निरीक्षक अमचन्द्र शर्मा रुड़की जिला हरिद्वार के नेतृत्व में ईनामी बदमाश राजू उर्फ राजकुमार पुत्र राजपाल निवासी फगौला थाना धोलाना जिला गाजियाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 734/08 धारा 364 भादवि की तलाश में एक टीम गठित की गई जिसमें उ0नि0 हरपाल एसआईटी मय कर्मगण कां0 सीआईयू रविन्द्र खत्री कां0 महिपाल का0 देवेन्द्र ममगाई कां0 कपिल व कां0 आशुतोष तिवारी गंगनहर व गाजियाबाद क्राईम ब्रांच के कर्म0गणों कां0 आकाश व कां0 रा जेन्द्र शामिल थे। अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार उपरोक्त पर गाजियाबाद उ0प्र0 पुलिस द्वारा 5000/-

	रुपये का इनाम घोषित किया गया है जो कि मुकदमा उपरोक्त में 8 साल की वांछित/फरार चल रहा था। ईनामी अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार अग्रवाल फनीचर के पास खडा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर जब प्रभारी सीआईयू मय हमराहीयान के सुनहारा रोड अग्रवाल फर्नीचर के पास पहुंचा तो वहां खडे व्यक्ति से नाम पता पूछा चो उसने अपना नाम राजू राजकुमार उपरोक्त बातया को कारण गिरफ्तारी बताकर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजकुमार को क्राईम ब्रांच गाजियाबाद के कानि0 आकाश व राजेन्द्र के सुपुर्द किया गया क्योंगि अभियुक्त उपरोक्त गाजियाबाद में वाँछित फरार चल रहा था। अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार उपरोक्त 8/9 सालों से नाम बदलकर सुनहरा रोड पर रह रहा था । पुलिस टीमः- प्रभारी निरीक्षक सीआईयू अमरचन्द्र शर्मा, उ0नि0 हरपाल सिंह एसआईटी, कां0 सीआईयू रविन्द्र खत्री रुड़की, कां0 महिपाल सीआईयू, कां0 देवेन्द्र, को0 गंगनहर कां0 कपिल, कां0 आशुतोष तिवारी को0 गंगनहर, गिरफ्तार अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र राजपाल निवासी फगौला थाना धोलाना जिला गाजियाबाद।

3-

Police Station Name	कोतवाली गंगनहर, सर्किल रूडकी
Image	
Date Of good work	13-11-17
Brief	दिनांक 20.11.17 को थाना कोतवाली गंगनहर क्षेत्रान्तर्गत उपकारागार रुड़की से पेशी पर लाये गये कुख्यात बदमाश वेदपाल राणा की रामनगर कचहरी परिसर में एडीजे प्रथम कोर्ट के बाहर तीन अज्ञात हथियाबन्द बदमाशों द्वारा अन्धाधुंध गोलियां बरसाकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया । उक्त फायरिंग में देवपाल राणा के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति भी घायल हुए। एंव बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से कोतवाली गंगनहर के पैरोकार ललिता प्रसाद, एंव आई0आर0बी0 द्वितीय के डयूटी पर तैनात कां0 सर्वेश पर फायर किया गया। जिसके द्वारा बदमाशों को ललकारते हुए हवाई फायरिंग भी किया गया तथा देवपाल राणा की सुरक्षा में तैनात कां0 311 अशोक द्वारा भी बदमाशों की ओर फायर किया गया तभी आई0आर0बी0 के जवानों तथा ललिता प्रसाद द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए उक्त हथियार बन्द बदमाशों में से दो बदमाशों को मौके पर ही मुटभेड के दौरान पकड ़लिया गया एक बदमाश भीड़ का फायदा उठाकर भागने में कायमयाब रहा। तभी मौके पर मय फोर्स के पहुंचे प्रभारी निरीक्षक गंगनहर द्वारा तत्काल पकड़े गये दोनों बदमाशों को हिरासत पुलिस लिया गया। जिनके कब्जे से दो विदेशी पिस्टल व 06 जिन्दा कारतूस बरामद हुए । पकडे हुए बदमाशों ने अपना नाम अजय पुत्र

	कृष्ण निवासी ग्राम मंगलपुर थाना नरवाणा जिला जिन्द हरियाणा उम्र 20 वर्ष, व दूसरे ने अपना नाम मोहित पुत्र सतवीर निवासी उम्र 19 वर्ष व अपना फरार साथी का नाम विकाश पुत्र रलदू निवासी उपरोक्त उम्र 20 वर्ष बताया। घायलों को पुलिस द्वारा उपचार हेतु तत्काल सिविल अस्पताल रुड़की ले जाया गया। जहां से वेदपाल राणा को चिकित्सक द्वारा दून अस्पताल देहरादून रेफर कर दिया गया। जहां पर डा0 द्वारा देवपाल राणा को मृत घोषित कर दिया गया। पूछताछ करने पर बदमाशों द्वारा खुलासा किया गया कि हम लोगो को ऋषिपाल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम मुस्की पुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर उ0प्र0 द्वारा उक्त देवपाल की हत्या करने भेजे गया था जिसकी पत्नी वर्तमान में ब्लोक प्रमुख है तथा पूर्व में देवपाल राणा की पत्नी ब्लोक प्रमुख थी उक्त चुनावी रंजिस के चलते दोनों में तनातनी थी इस बार भी ब्लाक प्रमुख के चुनाव में दोनों की पत्नियां उम्मीद्वार है। उक्त घटना क्रम के सम्बन्धमें थाना कोतवाली गंगनहर पर मु0अ0सं0 511/17 धारा 302/307/332/353/34 भादवि व मु0अ0सं0 512/17 धारा 25 आमर्स एक्ट बनाम अजय शर्मा व मु0अ0सं0 513/17 धारा 25 आमर्स एक्ट बनाम मोहित पंजीकृत किया गया। फरार अभियुक्त विकाश को जनपद देहरादून में देर रात्रि गिरफ्तार किया जा चुका है। नाम पता अभियुक्त - 1-अजय पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम मंगलपुर थाना नरवाणा जिला जिन्द हरियाणा 2- मोहित पुत्र सतवीर निवासी ग्राम मंगलपुर थाना नरवाणा जिला जिन्द हरियाणा । 3- विकाश पुत्र रलदू निवासी ग्राम मंगलपुर थाना नरवाणा जिला जिन्द हरियाणा।